

संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०

जवाहर भवन, लखनऊ

संस्कृति निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निम्न योजना हेतु उ०प्र० के विभिन्न कलाकारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन (रु० 2000/-प्रतिमाह) ऐसे ख्याति प्राप्त कलाकार जिन्होंने संबंधित कला विधा/क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों तक कला प्रदर्शन किया हो तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से कम न हो तथा आय रु० 24,000.00 प्रति वर्ष से अधिक न हो।
(आय का प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा आयु के प्रमाण हेतु हाईस्कूल का प्रमाण पत्र या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य होगा)

योजना के लिये आवेदन हेतु निम्नांकित निर्धारित प्रपत्र टंकित कराकर एवं वांछित सूचनाएं स्पष्ट रूप से अंकित कर प्रेषित किया जाना है। केवल निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन मान्य होंगे। आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ जिले के सहायक सूचना निदेशक अथवा सूचना अधिकारी/संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र प्रभारी/जिलाधिकारी से संस्तुति कराकर संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० नवम् तल, जवाहर भवन, लखनऊ में जमा किये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2011 होगी। अपूर्ण एवं प्राधिकृत अधिकारी की संस्तुति रहित एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं होगा।

आवेदन प्रपत्र

संस्कृति विभाग, उ.प्र.

उ.प्र. वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना
(वर्ष 2011-12)

1. प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम
2. प्रार्थी/प्रार्थिनी के पिता/पति का नाम
3. प्रार्थी/प्रार्थिनी का पूरा स्थायी पता
4. तिथि जब से प्रार्थी/प्रार्थिनी उ.प्र. का निवासी है
5. आयु और जन्म दिनांक (प्रमाण पत्र संलग्न किये जायें)
6. प्रार्थी/प्रार्थिनी की नियमित आय--
1. आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान (वार्षिक आय).....
2. वर्तमान आय (मासिक)
7. उपरोक्त आय स्रोतों का पूर्ण विवरण
7. परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या उनके सम्बन्ध, आय, उपजीविका और आय के स्रोत यदि कोई हो

क्र.सं.	नाम	उम्र	संबंध	पेशा	आय के स्रोत
1					
2					

8. स्वयं, पत्नी/पति या बच्चों के नाम हो अथवा स्वामित्व में अचल सम्पत्ति यदि कोई हो।
9. किस विधा के कलाकार है?
10. क्या आवेदक को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अकादमी/संस्था से कोई वित्तीय सहायता मिली है? यदि मिली है तो उसकी राशि और वर्ष
11. सरकार या किसी प्रमुख कला सोसायटी संस्था से प्राप्त मान्यता का विवरण
12. उपलब्धियों का विवरण:-
1. शैक्षिक योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा)
2. प्राविधिक योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा)
3. आकाशवाणी व दूरदर्शन से किये गये महत्वपूर्ण प्रसारणों का विवरण
4. अन्य उपलब्धियों का विवरण
13. संगीत/नृत्य/नाटक के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम तथा पते जो प्रार्थी की उपलब्धियों से परिचित हो:- (उनसे प्राप्त प्रमाण पत्र भी लगायें)
1. 2. 3.
14. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं? (यदि हां तो प्रमाण भी लगायें)

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है। यदि कोई विवरण गलत हों, तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी पेंशन बन्द कर दें और जो भी धनराशि मुझे पेंशन के रूप में दी गयी है, वह भूमि कर के बकाये की तरह वसूल कर ली जायें।

दिनांक

प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- निम्न प्रमाण पत्र अवश्य लगायें तभी आवेदन पत्र पर विचार होगा:-

1. कलाकार होना सिद्ध करने वाले प्रमाण ।
2. हाईस्कूल प्रमाण पत्र अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र ।
3. तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
4. जिला प्रशासन की संस्तुति ।
5. विशेष जानकारी/विवरण हेतु निदेशक, संस्कृति निदेशालय, नवम् तल जवाहर भवन, लखनऊ से व्यक्तिगत अथवा फोन नं०-0522-2286538, 0522-2286609 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
निदेशक. संस्कृति. उ०प्र०